P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-10* June- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

सरकारी बैंको में एनपीए : सरकार द्वारा उठाये गये कदम एवं सुझाव

अनीता जैन
मानदेय प्रवक्ता,
अर्थशास्त्र विभाग,
जैन स्थानकवासी गर्ल्स डिग्री कालिज,
बड़ौत, बागपत, राज्य, भारत

मुकेश कुमार
एसोसिएट प्रोसर एवं प्रभारी,
वाणिज्य विभाग,
दिगम्बर जैन कॉलिज
बड़ौत, बागपत, राज्य, भारत

सारांश

बैंकिंग नियामक संस्था आरबीआई ने कर्ज वापसी नही होने/एनपीए के लिए जरूरत से ज्यादा कर्ज देने, जानबूझकर कर्ज नही चुकाने, धोखाधड़ी और कुछ मामलों में भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया है। आरबीआई मानता है कि वर्ष 2008 से वर्ष 2014 के बीच बढ़–चढ़कर दिया गया कर्ज भी बढे एनपीए /फंसे कर्ज के लिए जिम्मेदार है। केन्द्रीय बैंक के ऑकडे के मुताबिक 31 मार्च 2008 में बैंको की तरफ से दिया गया कर्ज 18,19204/– करोड़ रू0 था जो 31 मार्च 2014 में बढ़कर 52,15,920/– करोड़ रू0 हो गया था। यह भी एक वजह रहा कि 31 मार्च 2018 को देश के सरकारी बैंको का कुल एनपीए 8,95,601 करोड़ रू0 हो गया था। सरकार का कहना है कि उसकी कोशिषों की वजह से 31 मार्च 2019 में एनपीए घटकर 7,89,569 करोड़ रू0 रह गया।

मुख्य शब्द : एनपीए, पीसीए, आईसीए, एनसीएलटी, आईबीसी।

प्रस्तावना

वित्त वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीयकृत बैंको में एनपीए खातो में कर्मचारियों की और से बरती गयी लापरवाही के मामले में 6049 कर्मचारियो को जिम्मेदार पाया गया। उन पर छोटे या बडे दण्ड लगाये गये। इनमें बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और पदावनति जैसी कार्यवाही शामिल है। फंसे कर्ज के आकार को देखते हुये सभी मामलों की शिकायत सीबीआई और पुलिस में दर्ज करायी गयी।

स्वच्छ और जिम्मेदार बैंकिग की दिशा में कदम बढ़ाते हुये धोखाधडी के मामलो में त्वरित कार्यवाही करने/आर्थिक अपराधियो को विदेश भागने से रोकने के लिए 50 करोड़ रु0 और उससे अधिक कर्ज ले चुके या लेने की तैयारी कर रहे लोगो के लिए सम्बन्धित बैंक में पासपोर्ट जमा कराना अनिवार्य किया गया। मौजूदा कर्जदारों को 45 दिन की मोहलत दी गयी।

वर्तमान में जब किसी बैंक का सीआरएआर, 9 प्रतिशत से कम हो जाता है या उसका शुद्ध एनपीए उसके द्वारा उधार दी गयी राशि के 6 प्रतिशत से अधिक हो जाता है या उसका रिटर्न आन एसेट लगातार 2 वर्षो तक नकारात्मक रहता है तो उस बैंक को प्राम्पट करेक्टिव एक्शन (पीसीए)/त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही की श्रेणी में डाल दिया जाता है। (इस श्रेणी के बैंको पर लाभांष वितरण पर रोक, शाखाये बढाने पर रोक, नये कर्ज देने पर रोक, ऊँची ब्याज दर पर जमा राशि लेने पर रोक एवं भर्तियो पर रोक रहती हैं, जबकि इन्हें हानि की भरपाई के लिए अधिक प्रॉविजनिंग करनी होती है।) मई 2018 में आरबीआई ने एनपीए में उछाल और लगातार घाटा देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंको (देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, कारपोरेशन बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, इण्डियन ओवरसीज बैंक, ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र) को दिसम्बर 2002 से प्रचलित पीसीए की श्रेणी में डाल दिया। बोर्ड फॉर फाईनेंशियल सुपरविजन की समीक्षा में इनमें से 31 जनवरी 2019 को ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, बैंक ऑफ इण्डिया व बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा फरवरी 2019 में इलाहाबद बैंक व कारपोरेशन बैंक ही पीसीए की निगरानी से बाहर आ पाये है।

बैंको में फ्राड रोकने की प्राथमिक और सामूहिक जिम्मेदारी इसके बोर्ड की होती है, इसलिए प्रबन्धन पर उसकी निगरानी बढाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंको में चैयरमैन के पद को एमडी के पद से अलग किया गया।

आरबीआई ने वीडियोकॉन ग्रुप, जिदंल स्टील एण्ड पावर जैसे 200 बडे लोन खातो की पड़ताल प्रारम्भ की, कि विभिन्न बैंको ने इन परिसम्पत्तियों के

सम्बन्ध में नियमो का पालन किया है या नहीं। दिये गये कर्ज की मॉनिटरिंग में ठुलमुल रवैया अपनाने पर /धोखाधडी से सम्बन्धित जानकारियॉ आरबीआई को देने में देरी करने पर आरबीआई द्वारा इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर दो करोड़ रूपये प्रत्येक, बैंक ऑफ बडौदा, बैंक ऑफ इण्डिया, इण्डियन ओवरसीज बैंक तथा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया पर डेढ करोड़ रूपया प्रत्येक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स पर एक करोड़ रूपया और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा पंजाब नेशनल बैंक पर पचास लाख रूपये प्रत्येक जुर्माना लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंको के प्रमुखो को 50 करोड़ रुपये से ऊपर के एनपीए की गहराई से पड़ताल करने का निर्देश दिया। ऐसा न करने पर (मामला न बताने पर और बाद में पकड़ में आ जाने पर) उस बैंक के प्रमुख पर आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आपराधिक शडयन्त्र का मुकदमा चलाया जा सकता है।

दिनांक 22 जुलाई 2018 को देश के 73 बैंको (22 सार्वजनिक, 19 नीजि एवं 32 विदेशी) एवं 12 प्रमुख वित्तीय संस्थानो (एलआईसी, हुडको, पीएफसी व आरईसी सहित) ने इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट (आईसीए) पर हस्ताक्षर किये। आईसीए वित्त मंत्रालय द्वारा घोशित सषक्त नामक कार्यक्रम का ही हिस्सा है। इस समझौते के तहत अगर एनपीए खाताधारक को कर्ज देने वाले बैंको के कंसोर्टियम में से 2/3 के बीच लीड बैंक द्वारा सुझाये गये कर्ज वसूली के तरीके पर सहमति बनती है तो उसका पालन सभी करेंगे। अगर कर्ज देने वाले किसी दूसरे बैंक को प्लान पर आपत्ति है तो वह बैंक पूरे एनपीए खाते को खरीद सकता है। इस व्यवस्था में 50 से 500 करोड़ रुपये तक के एनपीए खाते आयेगे। (50 करोड़ रुपये तक के एनपीए खातो के लिए सषक्त के अन्तर्गत ही एक अलग से प्रस्ताव किया गया है।) इस व्यवस्था से एनपीए खातो का निपटारा जल्द हो सकेगा। अभी तक बनने वाले प्लान पर प्रत्येक कर्जदाता बैंक की मंजूरी लेनी होती थी, जिसमें काफी समय लग जाता था। इस व्यवस्था से 3.10 लाख करोड़ रुपये के बकाया एनपीए के समाधान का रास्ता निकल सकेगा।

एसबीआई, पीएनबी, ओबीसी आदि ने एनपीए खातो की नीलामी का फैसला किया।

सरकारी बैंको में निदेशकों की नियुक्ति के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया ताकि इन पर राजनैतिक दबाव न रहे।

अप्रैल 2018 में भगोडे आर्थिक अपराधियो की सम्पत्ति जब्त करने के लिए फ्यूजिटिव इकोनोमिक आफेंडर्स कानून बनाया गया। सर्वप्रथम जनवरी 2019 में विजय माल्या को भगोडा घोषित किया गया।

अप्रैल 2017 में पीसीए प्लान में संशोधन किया गया।

वित्त वर्ष 2017–18 के शुरुआती 9 महीनों (अप्रैल–दिसम्बर 2017) में विलफुल डिफाल्टर्स (जान बूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले) की संख्या 1.66 प्रतिशत बढकर 9063 पर पहुँच गयी थी। इन पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको का 110050 करोड़ रुपये बकाया था। इसकी वसूली के लिए बैंको ने 2108 एफआईआर दर्ज करायी।

केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने वित्त मंत्रालय, साख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वन मंत्रालय और आरबीआई को 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक कर्ज लेकर उसे जान बूझकर सही समय पर नहीं लौटाने वाले लोगो के खिलाफ की गयी कार्यवाही और उनके प्रयास सफल नहीं होने के कारण बताने को कहा।

नवम्बर 2018 में सीआईसी ने आरबीआई एवं पीएमओ को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में विलफुल डिफाल्टर्स की सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। लेकिन दिनांक 16 जौलाई, 2019 को राज्य सभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने जवाब में पच्चीस करोड़ रूपया से ज्यादा का कर्ज नही चुकाने वाले डिफाल्टर्स की संख्या (1938) तो बता दी, लेकिन उनके नाम सार्वजनिक करने से इंकार कर दिया। उनके अनुसार आरबीआई की तरफ से बताया गया कि धारा 45 ई के तहत ग्राहकों के कर्ज से जुड़ी सूचनाओं को गोपनीय रखने का प्राविधान है और इसे सार्वजनिक नही किया जा सकता।

दिसम्बर 2018 में सात सरकारी बैंको को रिकेपिटलाइजेषन बांडस् के माध्यम से 28615 करोड़ रु0 मुहैया कराये गये। वित्त वर्ष 2018–19 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रिकार्ड 1.06 लाख करोड़ रूपया की वित्त ीय मदद दी गयी। बैंक ऑफ बडौदा में देना बैंक और विजया बैंक के विलय के पश्चात् सरकार ने बैंक आफ बडौदा में पाच हजार बियालीस करोड़ रूपये का निवेश किया। 30 अगस्त, 2019 को सरकार ने पीसीए की निगरानी वाले चार सरकारी बैंकों को दस हजार आठ सौ करोड़ रूपया (इंडियन ओवरसीज बैंक 3800 करोड़ रू0, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया 3300 करोड़ रू0, यूको बैंक 2100 करोड़ और यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया 1600 करोड़ रू0) सहित 10 सरकारी बैंकों को 55250 करोड़ रू0 की पूँजी/बैल आउट पैकेज मुहैया कराने का एलान किया। (पंजाब नेशनल बैंक 16000 करोड़ रू0, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया 11700 करोड़ रू0, बैंक आफ बडौदा 7000 करोड़ रू0, केनरा बैंक 6500 करोड़ रू0, इण्डियन बैंक 2500 करोड़ रू0 व पंजाब एंड सिंध बैंक 750 करोड़ रू0) ।

दिसम्बर 2016 में इंसाल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आईबीसी) लागू किया गया इसके लागू होने के बाद से देश में दिवालियेपन पर लागू सभी पुराने कानून खत्म हो गये है। इन कानून के तहत अगर किसी कम्पनी पर एक लाख रुपये से अधिक का कर्ज बकाया है और कम्पनी 90 दिनो तक इस कर्ज का भुगतान नहीं कर पाती है तो कर्जदाता बैंक या वित्तीय संस्थान बैंक्रप्सी कोर्ट (एनसीएलटी) का दरवाजा खटखटा सकते है। इस कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रषासक इस कम्पनी के सम्बन्ध में यह निर्णय करता है कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति सुधार कर इसे चलाया जाये या बेचा जाये। यदि 9 महीने में सुधार की योजना सफल नहीं होती है तो कम्पनी की परिसम्पतियो को बेच दिया जाता है। आईबीसी एनपीए से जूझ रहे बैको के लिए मददगार साबित हो रहा है, क्योकि इस कानून के बनने से उधार लेने वालो के व्यवहार में

काफी बदलाव आया है। यहीं कारण है कि इस कानून के लागू होने के बाद विश्व बैंक की इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पर भारत की रैकिग में बडा उछाल आया। भारत इस रैकिंग में 130 वें स्थान से उठकर सन 2017 में 100 वे स्थान पर और आज 77 वें स्थान पर पहुँच गया।

एक अनुमान के अनुसार आईबीसी ने दिसम्बर 2016 में प्रभावी होने के बाद से लगभग 3 लाख करोड़ रुपये के फसें कर्ज का समाधाान करने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से मदद की है। इसमें एनसीएलटी द्वारा मामले को दिवालिया प्रक्रिया के तहत स्वीकार किये जाने से पहले निपटाये गये मामले, समाधाान योजना के तहत वसूली आदि सभी शामिल है। 2.02 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 4452 मामलों को स्वीकार किये जाने से पहले ही निपटाया गया, 1322 मामलो को निपटान के लिए भेजा गया, 260 मामलो में लिक्विडेशन (कम्पनी की परिसम्पत्तियो को बेचने) का आदेश दिया गया, 40000 करोड़ रुपये के एनपीए में कर्जदारो द्वारा भुगतान शुरु हो गया और 66 मामलो को हल करके विभिन्न कारपोरेट कर्जदारो से 80000 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की गयी, जबकि 2019 में यह आंकडा 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर सकता है क्योकि 2019 में एनसीएलटी देश भर में अपनी 11 पीठों के माध्यम से कई बडे बडे फंसे कर्जो – एस्सार स्टील 37284 करोड़ रुपये, भूषण पावर एवं स्टील 19000 करोड़ रुपये, जेपी इंफ्राटेक 9635 करोड़ रुपये, वीडियोकोन ग्रुप, इलेक्ट्रोस्टील 10273 करोड़ रुपये, मोनेट इस्पात, एमटैक आटो, रुचि सोया, लैंको इंफ्राटेक 44364 करोड़ रुपये, एबीजी षिपयार्ड 6935 करोड़ रुपये आदि की दिवलिया समाधान प्रक्रिया को अंतिम निश्कर्श तक पहुँचायेगा।

12 फरवरी 2018 को आरबीआई की तरफ से जारी सर्कुलर (01 मार्च 2018 से प्रभावी) में कर्ज नहीं चुकने वाले ग्राहको के खातो को पुर्न निर्धारित करने के तत्कालीन सभी विकल्पो को समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि अगर कोई कम्पनी दो हजार करोड़ रू0 से ज्यादा के कर्ज को चुकाने में निर्धारित तिथि से एक दिन की भी चूक करती है तो उसे एनपीए (डिफाल्टर) माना जाना चाहिए और उन खातो के खिलाफ अनिवार्य तौर पर एनसीएलटी में दिवालिया प्रक्रिया के तहत कार्यवाही होनी चाहिए। (कर्ज के बोझ तले दबी कम्पनिया जब कर्ज चुकाने मे नाकामयाब हो जाती है तो उनके लेनदार एनसीएलटी में मामला ले जाकर वसूली की गुहार करते है। एनसीएलटी इनमें से उपयुक्त मामलो को समाधान के लिए आईबीसी के तहत भेज देता है। आईबीसी में मामला जाने के बाद सम्बन्धित कम्पनी की बोली लगायी जाती है जिसके तहत कोई न कोई बोलीकर्ता उसका अधिग्रहण कर लेता है) सरकारी आंकडो के अनुसार 31 मार्च 2018 को सरकारी क्षेत्र के बैंको का एनपीए 10.41 लाख करोड़ रूपया था जो इस नियम की वजह से 13–13.50 लाख करोड़ रुपये की सीमा लांघ सकता था। रेटिंग एजेंसी इकरा की रिपोर्ट के मुताबिक देश में ऐसे 70 बडे कारपोरेट खाते थे जिन्हे आरबीआई के नियम के मुताबिक एनपीए घाोषित किया जा सकता था। इससे एनपीए की राशि में 3.8 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हो सकती थी। अगर यह राशि एनपीए के तौर पर चिन्हित हो जाती, तो इन सभी कम्पनियो के दिवालिया होने की प्रक्रिया बैंको को शुरु करनी होती। जिन खातो पर अंतिम तौर पर गाज गिरने के आसार थे उनमें बिजली, ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण) दूरसंचार, रीयल एस्टेट जैसे क्षेत्र की कम्पनियॉ थी।

जबकि बैंक चाहते थे कि इन कम्पनियो का मामला दिवालिया कानून के तहत एनसीएलटी में नहीं जाये। क्योंकि एक तो वहां वक्त काफी लगता है, दूसरे इस बात की भी गारंटी नहीं थी कि कर्ज वसूली की राशि प्रर्याप्त होगी। आरबीआई ने प्रथम चरण (जुलाई 2017) में एनसीएलटी में देश के 12 सबसे बडे एनपीए खाता धारक कम्पनियो (भूषण स्टील लैंको इन्फ्राटैक 44364 करोड़ रुपये, एस्सार स्टील 37284 करोड़ रू0, आलोक इण्डस्ट्रीज 22075 करोड़ रुपये, भूषण पावर एवं स्टील 19000 करोड़ रुपये, इलेक्ट्रो स्टील 10273 करोड़ रुपये, जेपी इन्फ्राटेक 9635 करोड़ रुपये, एबीजी षिपयार्ड 6935 करोड़ रुपये, ईरा इन्फ्रा, मोनेट इस्पात, एमटैक आटो, ज्योति स्ट्रक्चर्स) में नये दिवालिया कानून के तहत 236483 करोड़ रुपये के कर्ज वसूली की प्रक्रिया (इन्हें दिवालिया घोशित करके इनकी सम्पत्तियों को बेचकर) शुरु करायी थी। इन सभी मामलो के लिए नौ महीने की समय सीमा तय की गयी थी लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बावजूद भूषण स्टील को छोडकर किसी भी अन्य मामले पर अंतिम फैसला नहीं हो सका। (भूषण स्टील का टाटा स्टील द्वारा अधिग्रहण किया जाना ही सफल हो पाया है) अन्य सभी मामले कानूनी पचडे में फंसे हुये है इसमें आलोक इण्डस्ट्रीज जैसी कम्पनी भी शामिल है जिस पर बैंको का 22075 करोड़ रुपये बकाया है जबकि दिवालिया प्रक्रिया के तहत इसकी सबसे ज्यादा बोली 5000 करोड़ रुपये की लगी है।

12 फरवरी 2018 को आरबीआई की तरफ से एनपीए वसूली तंत्र को मजबूत करने के लिए जारी सर्कुलर, जिसे देश के सरकारी बैंको को निगल रहे एनपीए की समस्या का एक सटीक समाधान माना जा रहा था और जिसे अगस्त 2018 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सही ठहराया था, को 2 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुये निरस्त कर दिया जिसके पश्चात् 07 जून, 2019 को आरबीआई ने नया सर्कुलर जारी किया। इसके अनुसार अगर कोई कर्जदार 2000 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा के भुगतान में देरी करता है तो बैंक 30 दिनों के भीतर समीक्षा करके उसके बाद उसे एनपीए घोषित कर सकते है, तत्पश्चात् बैंक समाधाान योजना बनायेगें। समाधान प्रक्रिया शुरु करने के लिए सभी कर्जदाताओ की अनुमति की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। अब केवल 75 फीसदी कर्जदाताओ की अनुमति लेकर ही समाधान प्रक्रिया शुरु की जा सकेगी। प्रक्रिया की रुपरेखा तय करने का अधिकार कर्जदाताओ को ही होगा। यद्यपि सभी कर्जदाताओ को सहमति जताने के लिए आईसीए पर हस्ताक्षर करने होंगे।

डीआरटी में कर्ज वसूली के लिए आवेदन करने की राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रूपये किया गया।

यूको बैंक ने विलफुल डिफाल्टर्स के नाम जाहिर कर उन्हें शर्मिंदा करने के अपने नेम एंड शेम अभियान के तहत 665 ऐसे कर्जदारो की सूची जारी की, जिन्होने कर्ज नही चुकाया। ऐसा करते समय बैंक ने अपने संस्थापक घनष्याम दास बिरला के भाई के पोते यषोवर्धन बिरला को भी विलफुल डिफाल्टर्स घोशित किया। यष बिडला नियंत्रित कम्पनी, बिडला सूर्या लिमिटेड को एक कंसोर्टियम (यूको बैंक, एसबीआई, पीएनबी एवं यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया) ने 100 करोड़ रूपये की कर्ज सीमा मुहैया करायी थी, इसमें से 67.55 करोड़ रूपया बकाया था जिसे वर्ष 2013 में एनपीए के तौर पर वर्गीकृत किया गया था।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा आयकर विभाग को निर्देश दिया गया कि आयकर अधिनियम की धारा 138 (1) (बी) के तहत जनहित में ऐसे लोन डिफाल्टर्स की आईटीआर में से सम्पत्तियों और एकाउन्टस का ब्यौरा निकालकर सरकारी बैंको को दे जिनके बारे में बैंको ने विभाग से ब्यौरे की मांग की हो।

साइबर सुरक्षा सम्बन्धित दिशा–निर्देशों के उल्लंघन पर आरबीआई नें यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया पर 10 लाख रूपये का जुर्माना लगाया। वर्ष 2016 में स्विफट (SWIFT) सिस्टम के माध्यम से बैंक में 17.1 करोड़ डालर (तत्कालीन मूल्य पर 1000 करोड़ रूपये से ज्यादा) के सात से ज्यादा धोखाधडी सम्बन्धित संदेश मिलने पर बैंक के साइबर सुरक्षा तंत्र की जॉच की गयी, उसमें पता चला कि इस मोर्चे पर बैंक ने कई स्तरों पर लचरता दिखाई है। फंसे कर्ज की पहचान तथा धोखाधडी जोखिम प्रबन्धन समेत कई अन्य नियमों की अनदेखी करने पर आरबीआई द्वारा एसबीआई पर 07 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया गया।

सरकार अगले 3–4 वर्षो की अवधि में अधिकतम 10 हजार करोड़ रूपये की सीमा में छोटे कर्ज (रू0 35000 से ज्यादा नही) का दबाव झेल रहे कर्जदारो को मौजूदा आईबीसी के तहत कर्ज माफी का रास्ता निकालने की तैयारी कर रही है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने बैंकिंग फ्राड का मुकाबला करने के लिए पूर्व सीवीसी टी.एम. भसीन की अध्यक्षता में एक एडवाईजरी बोर्ड 'फॉर बैंकिंग फ्राड' (ABBF) का गठन किया है। यह बोर्ड 50 करोड़ रूपये से ऊपर के फ्राड की प्राथमिक जॉच और दोशियों के विरूद्ध कार्यवाही की सिफारिष करेगा।

30 अगस्त 2019 को बैकों के कामकाज में सुधार की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने बैंको को बाहर से चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त करने की छूट प्रदान की। इससे बैंक बेहतर टेलेंट आकर्शित कर पायेंगे।

सुझाव

अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक वृद्धि की राह पर बनाये रखने के लिये कर्ज की समय पर वसूली और वसूल न हो पा रहे लोन का समाधान बेहद जरूरी है इसलिए पुराने एनपीए की वसूली प्रक्रिया को तेज करने एवं भविष्य में एनपीए की दर में कमी लाने के लिए निम्न कदमो को उठाया जाना आवश्यक हैः–

1. कर्मचारियो को परिचालन कार्यो से हटाकर कर्ज वसूली के काम में लगाया जाये।
2. समाधान प्रक्रिया को तेज करने के लिए एनसीएलटी की पीठो की संख्या बढायी जाये, इनमें न्यायाधीशो की संख्या बढायी जाये एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाये।
3. मामले को स्वीकार करने में होने वाली अत्यधिक देरी को समाप्त किया जाये, डिफाल्ट हुआ है या नहीं यह तय करने में नियत समय सीमा 14 दिन का पालन किया जाये, डीम्ड एडमिषन का प्रावधान किया जाये।
4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के बोर्ड में आरबीआई के नामित सदस्य नहीं होने चाहिए।
5. फ्रॉड रोकने की प्राथमिक और सामूहिक जिम्मेदारी बैंको के बोर्ड की होनी चाहिए।
6. उच्च प्रबन्ध (चैयरमैन, प्रबन्ध निदेशक, निदेशको) के खिलाफ ठोस कार्यवाही की जानी चाहिए।
7. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में गर्वनेंस सुधार पर फोकस बढाया जाये।
8. अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में आरबीआई के इस तर्क कि कर्ज से जुडी सूचनाओं को सार्वजनिक नही किया जा सकता, को खारिज कर दिया था और सार्वजनिक नही करने के मौजूदा प्रावधानों को निरस्त करने को भी कहा था, ताकि आरटीआई के तहत उन लोगों के नाम सार्वजनिक किये जा सके, जो जानबूझ कर बैंको के कर्ज नही लौटाते है। इससे पूर्व 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश दिया था कि बैंको का कर्ज नही लौटाने वालो के नाम छिपाने वाले प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए। इसलिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सन्दर्भ में आरबीआई एक्ट 1935 में संशोधन करके कर्ज से जुडी सूचनाओं को सार्वजनिक करना चाहिए।
9. आरबीआई को बैंको की निगरानी के लिए ज्यादा शक्तिया दी जाये।
10. एनबीएफसी को आईबीसी के दायरे में लाया जाये। ,
11. आरबीआई द्वारा बैंको को लेकर तैयार की जाने वाली सालाना जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाये।
12. आरबीआई का ध्यान पारदर्षिता पर होना चाहिए, न कि किसी भी तथ्य को छिपाने पर।

निष्कर्ष

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार बैंको के लोन रिकवरी सिस्टम में सुधार से स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। राजग सरकार के षासन काल के दौरान उठाये गये उपरोक्त कदमों के फलस्वरुप वित वर्ष 2016–17 में 61930 करोड़ रूपये के एनपीए की वसूली हुई थी, वित्त वर्ष 2017–18 में बैंको ने 74562 करोड़ रुपये के एनपीए की वसूली की, वित्त वर्ष 2018–19 में 181034 करोड़ रुपये की रिकवरी के लक्ष्य के सापेक्ष वित्त वर्ष 2018–19 की प्रथम छमाही में सरकारी बैंको ने 60713 करोड़ रुपये की वसूली की, जो विगत वर्ष की समान अवधि में हुई वसूली का दोगुणा थी। वित्त वर्ष

2018–19 की प्रथम तीन तिमाही में बैंको ने एक लाख करोड़ रुपये का एनपीए वसूल किया। वित्त वर्ष 2018–19 में सरकारी बैंको ने 1.21 लाख करोड़ रूपये का एनपीए वसूल किया है, जबकि सन् 2015 के बाद से अभी तक 2. 8 लाख करोड़ रुपये की राशि वसूली जा चुकी है। आज मुनाफा कमाने वाले सरकारी बैंको की संख्या 02 से बढकर 14 हो गयी है और वित्त वर्ष 2018–19 में प्रोविजनिंग कवरेज रेशो 75.3 प्रतिशत रहा है जो विगत 07 वर्षो में सर्वाधिक है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *प्रतियोगित दपर्ण, हिंदी मासिक, फरवरी 2018 – जून 2019*
2. *दैनिक जागरण, मेरठ, 15 फरवरी 2018 – जून 2019*
3. *अमर उजाला, मेरठ, 15 फरवरी 2018 – जून 2019*
4. *दैनिक जनवाणी, मेरठ, 15 फरवरी 2018 – जून 2019*
5. *हिंदुस्तान, मेरठ, 15 फरवरी 2018 – जून 2019*
6. *बिजनेस स्टैण्र्ड, नई दिल्ली, 15 फरवरी 2018 – जून 2019*
7. *दी इकोनोमिक टाइम्स, नई दिल्ली, 15 फरवरी 2018 – जून 2019*